International Journal of Home Science 2023; 9(1): 46-55

International Journal of Home Science

ISSN: 2395-7476
IJHS 2023; 9(1): 46-55
© 2023 IJHS
www.homesciencejournal.com
Received: 25-11-2022
Accepted: 30-12-2022

मृदुला भारती
विभागाध्यक्ष, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ होम साइन्स, विनोबा भावे **विश्वविद्यालय**, हजारीबाग, झारखण्ड, भारत

प्रतिमा कुमारी
शोध छात्रा, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ होम साइन्स, विनोबा भावे **विश्वविद्यालय**, हजारीबाग, झारखण्ड, भारत

Corresponding Author:
मृदुला भारती
विभागाध्यक्ष, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ होम साइन्स, विनोबा भावे **विश्वविद्यालय**, हजारीबाग, झारखण्ड, भारत

सामान्य बच्चे एवम् बाल अपराधी बच्चों (6–12 वर्ष) के सामाजिक–सांवेगिक विकास का अध्ययन

मृदुला भारती, प्रतिमा कुमारी

सारांश
यह शोध ''सामान्य बच्चे एवम् बाल–अपराधी बच्चों के सामाजिक–सांवेगिक विकास का अध्ययन'' पर कार्य किया गया है। इसके लिए उद्येष्य हेतू

- सामान्य बच्चे एवं बाल अपराधी बच्चों के सामाजिक विकास के उद्येष्य
- सामान्य बच्चे एवम् बाल अपराधी बच्चों के सांवेगिक विकास का अध्ययन
- सामान्य बच्चे एवम् बाल अपराधी बच्चों के कुण्ठा स्तर का अध्ययन किया गया है।

मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रयोग किया गया है जिसके अर्न्तगत सांवेगिक परिपक्वता मापनी– डॉ.यषवीर सिंह एवं महेष भारगव सामाजिक परिपक्वता मापनी – डॉ. आर.पी.श्रीवास्तव एवम् नैराष्य माप–एन. एस. चौहान एवं जी. तिवारी का शोध उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया है वर्णात्मक शोध प्रारूप का अनुप्रयोग किया गया। प्रदत संकलन के पश्चात् साख्यिकी विश्लेषण हेतु टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया।
शोध के निष्कर्ष हेतु पाया गया कि सामान्य बच्चे का सामाजिक विकास अधिक अच्छा होता है। जबकि बाल–अपराधी बच्चों का सांवेगिक विकास अधिक अच्छा होता है। सांवेगिक रूप से अधिक परिपक्व होते हैं। कुण्ठा स्तर का विश्लेषण किया गया तथा पाया गया कि फ्रस्ट्रेश्न रियेक्शन के अन्तर्गत सामान्य बच्चो मे अग्रेशन की प्रवृति अधिक पायी जाती है। बाल अपराधी बच्चों में फिक्षेषन एवं रेषीगनेषन की प्रवृति अधिक पायी जाती है। रीग्रेशन की प्रवृति सामान्य एवं बाल–अपराधी दोनों बच्चों में पाया जाता है।

कूटशब्दः सामान्य बच्चे, बाल अपराधी, सांवेगिक विकास, सांवेगिक परिपक्वता

प्रस्तावना
प्रत्येक समाज में सांस्कृतिक आदर्षो के अनुरूप एक जीवनशैली एवम् कुछ मान्य व्यवहार है। यह व्यवहार समाज के सांस्कृतिक आदर्षो को पाने में सहायक होते है और वही व्यवहार आदर्ष माने जाते है इनके द्वारा समाज का संतुलन बना रहता है। कुछ कारण ऐसे होते है जब व्यक्ति मान्य आदर्ष के प्रतिकूल व्यवहार करता है, उस व्यवहार को विचलन कहा जाता है।
प्राणियों में कई प्राकृतिक शक्तियाँ होती है जो इस जन्म में प्राप्त नही होती, बल्कि पैदा होते ही जन्म के साथ आती है। प्राणी को अपने जीवन रक्षा के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं की जरूरत होती है। वह इस आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है जब प्राणी को उन आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसे सुख एवम सन्तोष की अनुभूति होती है। किन्तु यदि इन्ही आवष्यकताओं की पूर्ति प्राणी को नही होती है तो उसके अन्दर दुख एवमं विक्षोप का अनुभव होता है।
चूकि सभी बच्चे सामान्य होते है, सामान्य का तात्पर्य उनमें वे सभी गुण होने चाहिए जो एक सामान्य बच्चों में होता है। उन बच्चों में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से असमर्थ है, जो कुछ नही कर पाते। बच्चे हमारे समाज तथा परिवार के लिए एक नींव का कार्य करते है, क्योंकि बच्चों पर हीं सभी आश्रित रहते है। उन्हें वे सभी सुविधायें प्रदान करना चाहिए जो एक बच्चे के लिए आवश्यक है।
जब बच्चों का उचित ढंग से पालन पोषण नहीं हो पाता है तो इस स्थिति में बच्चों का उचित विकास नहीं हो पाता है और उसका मन अन्य किसी कार्य में लग जाता है क्योकि बच्चे ही हमारे देश के भावी कर्णधार है। वही देष, परिवार तथा समाज को चलाने वाले है। इसलिए हमें बच्चों को सभी सुविधाएँ तथा उनका पालन पोषण उचित ढंग से करना चाहिए। इन्हीं बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होते है जिनको किसी प्रकार का कोई सामान (खाने पीने से सम्बन्धित) या सुविधायें नहीं मिल पाती है तो बच्चा माता पिता के साथ गलत व्यवहार करने लगता है जिससे बच्चा अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गलत कार्य को अन्जाम देने लगता है। जैसे– झूठ बोलना, चोरी करना, मारपीट करना, बड़ो का अपमान करना व मादक द्रव्यों का सेवन करना, जुआ खेलना, गुटबन्दी करना, यौन अपराध करना इत्यादि।

कुछ लोगो का मानना है कि एक बच्चे को सभी सुविधायें मिल जाती है तो बच्चा गलत कार्य की तरफ ध्यान नहीं देता लेकिन बच्चों का गलत व्यवहार माता पिता की कमजोरी के कारण होता है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। बच्चे तो सभी सामान्य होते है लेकिन उसमें शारीरिक या मानसिक रूप से कुछ कमी अवश्य रहती है, इसलिए हमें अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए माता पिता की जो जिम्मेवारी होती है उसे पूरा करना चाहिए।

किसी बच्चे के विकास की रूप रेखा कैसे होगी वह उसके व्यक्तित्व और सांस्कृतिक दषाओं पर निर्भर करता है जिसमें वह पलकर बडा होता है। अलग–अलग समयों में सामजिक एवम् सांस्कृतिक परिवेष में होने के कारण बच्चे के अन्दर व्यक्तित्व भिन्नता उत्पन्न होती है। मानव विकास की अवस्था सार्वभौमिक होती है। सभी बालक चाहे वे किसी भी जाति, देष एवम् संस्कृति के हो लेकिन वे विकास की सभी अवस्थाओं से होकर गुजरते है। कोई भी बच्चा किसी अवस्था का उल्लंघन नहीं करता विकास की यह अवस्था एक निश्चित क्रम में चलती है।

सामान्यतः बच्चे उक्त सभी अवस्थाओं से होकर गुजरते है। प्रत्येक अवस्था में विकसित होने वाली व्यहारगत विशेषतायें दूसरी अवस्था की विशेषताओं से भिन्न होती है। जब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पहुँचने पर बालक जो व्यवहार करता है। वह मात्रा से ही नहीं बल्कि गुणों में भी भिन्न होता है, विकास तो प्रत्येक अवस्था में होती है क्योकि सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में एवम् समान अवस्थाओं से होकर गुजरता है। किन्तु उनके अनुभव में व्यक्तिगत विभिन्नतायें देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है कि सभी बच्चों का विकास एक जैसा नहीं हो पाता? इस प्रश्न पर कुछ सिद्धांत वादियों को कहना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता दो कारणों से दिखाई देती है, विकास की गति और सीमा। यद्यपि विकास की प्रक्रिया सभी बालकों में समान रूप से चलती है फिर भी सभी बालक न तो समान गति से विकसित होते है न तो विकास की सीमा एक समान होती है। कुछ बच्चे बीमारी के कारण विकास की सीमा तक नही पहुँच पाते अतः इस अवस्था में विकास गति और सीमा में पाये जाने वाली भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होती है।

बचपन व्यक्ति के विकास की वह महत्वपूर्ण अवस्था है जो सम्पूर्ण जीवन का आधार स्तम्भ होती है, यदि वह आधार किसी भी तरह कमजोर होती है तो बालक की जीवनरूपी इमारत कमजोर हो जाती है इसलियं बच्चे का शैशवकाल से ही माता पिता के स्वरूप, संरक्षण, स्नेह, संतुलित अनुशासन, अच्छी संगत तथा समाज के स्वरूप तथा वातावरण की आवष्यकता होती है। जिन बालकों को स्वस्थ आधार नहीं मिल पाते है उन बालक में समायोजन समस्यायें बढ़ जाती है और वे अपराधों की और प्रवृष्ट हो जाते है।

बच्चे ही देष के कर्णधार एवम् भविष्य हैं। जब भावी हीं पतन के गर्त में होगी, तो देष का भविष्य स्वतः हीं अन्धकारमय हो जायेगा।

एक बच्चे के लिए माता पिता से बढकर कोई नहीं होता, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो बच्चों को घृणित कार्य करने के लिए वाध्य करती है। कोई भी माता पिता जान बुझकर अपने बच्चे को बढ्ढे में नहीं फेकता है।

प्रत्येक बालक दूसरे से भिन्न होता है। परिवार में ही प्रत्येक भाई बहन एक दुसरे से भिन्न होते है। यह भिन्नता शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी होती है क्योकि जब सभी सामान्य बालक जो विभिन्न परिवारों, जातियों, धर्म एवम् विविध बर्ग की बालक एकत्रित होते है, किन्तु वे सभी दृष्टिकोण से भिन्न दिखाई देते है। सामान्य बालको के तुलना में कुछ बच्चे अपराधी होते है। उनका यह व्यवहार समाज के लिए समस्या उत्पन्न कर देता है और वह अपराधी प्रवृति का हो जाता है। प्राय सभी समाजों और समुदायों में कुछ लोग ऐसे पाये जाते हैं जिन्हे समाजिक नियमों और कानून के विरूद्ध आचरण करने में उसे आन्नद मिलता है, ऐसा करने में उनके भीतर समाज विरोधी प्रवृति अंकुरित होने लगती है। जब कोई प्रौढ़ व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर समाज विरोधी व्यवहार करता है तो उसके आचरण को अपराध की संज्ञा दी जाती है। किन्तु जब ऐसे व्यवहार अल्पायु के द्वारा किया जाता है तो उसे बाल अपराधी कहा जाता है। बाल अपराध एक समाज विरोधे कार्य है जो किसी निश्चित आयु के बालक करते है।

अपराध एवम् बाल अपराध के शब्दों का अर्थ हमेशा कानून के संदर्भ में लिया जाता है। साधारण बोल चाल की भाषा में यदि किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसे अपराधी कहते है और यदि कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति बालक है तो उसे अपराधी न कहकर बाल अपराधी कहा जायेगा।

समाजषास्त्र के दृष्टिकोण से वे व्यक्ति अपराधी हैं जो समाज विरोधी व्यवहार करते है। इस प्रकार का समाज विरोधी व्यवहार करने वाले बालक है तो वे बाल अपराधी कहे जायेंगे। समाज विरोधी व्यवहार से कानून का उल्लघन हो भी सकता है और नहीं भी।

समाजषास्त्रीय दृष्टि से बाल अपराध का अर्थ है – वे कार्य जो बालकों द्वारा समाज के नियमों व मान्यताओं के विरूद्ध किये गए है। समाजश्षास्त्रीय दृष्टिकोण से कुछ विद्वानों जैसे सिरिल बर्ट (1955), गिलिन और गिलिन (1945), क्लिनार्ड (1957), हेकरवाल (1939) आदि ने बाल अपराध को परिभाषित करने की कोशिश की है। उनके अनुसार एक बालक को अपराधी तभी माना जाएगा जब उसकी समाज विरोधी प्रवृतिया इतनी गम्भीर रूप धारण कर लेती है कि उनके विरूद्ध कानुनी कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है।

वैधानिक दृष्टि से वे सभी बालक जो कानून का उल्लंघन करते है बाल अपराधी माने जाते है इस प्रकार कानूनी दृष्टिकोण से कुछ लेखकों जैसे रेकलेस (1970) एच0 एच0 लाऊ (1930) षेल्डन तथा ग्लूक (1957), षेफर तथा न्यूडेन (1970) आदि ने बालक अपराध के कानूनी पक्ष अर्थात किसी बालक द्वारा अपराधी कानून का उल्लंघन, पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी तथा बाल – न्यायालयों द्वारा उस बालक का दोष – सिद्धि की प्रमाणिकता को इस शब्द की उचित वैधानिक परिभाषा करने में महत्वपूर्ण समझते है।

भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 (Juvenile Justice Act, 1986) जो की अक्टूबर 1987 से लागू किया गया, के अनुसार 16 वर्ष तक के आयु के लडको एवं 18 वर्ष तक की आयु की लडकियों को अपराध करने पर बालअपराधी की श्रेणी में सम्मिलत किया है। बाद में बाल न्याय अधिनियम 2000 (Juvenile Justice Act, 2000) के लागु हो जाने से लड़के और लड़कियो दोनों के लिए यह उम्र सीमा 18 वर्ष तय कर दी गई है।

प्रत्येक मानव समाज में समाज की व्यवस्था और सदस्यों की सुरक्षा को बनायें रखने के लिए कुछ नियम और कानून होते है। जब कोई सदस्य इस नियम और कानून में से कुछ को या एक को तोडता है तो उस व्यक्ति को अपराधी कहते है। कानून तोड़ने वाला व्यक्ति बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक किसी भी आयु के हो सकते है। यदि कानून तोड़ने वाला व्यक्ति बालक है तो बाल अपराधी कहा जायेगाा और कानून विरोधी व्यवहार कहा जायेगा। आयु के आधार पर देंखें तो 7 से 12 वर्ष आयु के बीच अपराध करने वाले बालक को बाल अपराधी कहा जाता है। निन्नतम आयु सीमा विभिन्न देषों एवम् भारत के विभिन्न राज्यों में एक जैसी है, अधिकतम आयु सीमा निष्चित नहीं है। अमेरिका के अधिकतम राज्य में यह 18 वर्ष है किन्तु इग्लैंण्ड में 17 वर्ष है, जापान में 20 वर्ष, भारत के अन्य राज्य में लड़के एवम् लडकियों के लिए 16 वर्ष तक है। राज्य में पाये जाने वाले बाल अधिनियम हीं आयु सीमा को निर्धारित करती है। आयु में अन्तर होने के कारण बाल अपराधी को ऐसा अपराधी कहा गया है जो देश या राज्य के वैधानिक व्यवस्था के द्वारा निर्धारित आयु के अन्तर्गत आता है।

- शर्मा, जी0 के0(1991) ने अपने अध्ययन में पाया कि अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंध रखनेवाला अधिकांष बालक षैक्षणिक परिवारिक आर्थिक, सांवेगिक,पाठ्येतर गतिविधियों और आर्थिक समायोजन के क्षेत्र में कठिनाई का अनुभव नही करते हैं।

- जैन,कल्पना (1988) ने अपने अध्ययन में पाया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे उच्च जाति बच्चों की तुलना में अपेक्षाकृत बौद्विक रूप से पिछड़े, सावेंगिक रूप से अस्थिर जल्दबाज और तनावग्रस्त होते हैं।
- बाल्वी (1982) ने प्रतिपादित किया कि मानव षिषु अन्य दुसरी जाति के बच्चों के समान अपने प्राथमिक देखभाल करने वाले से जुड़ाव की आवष्यकता होती है। लगाव की यह प्रक्रिया बच्चों के जीवन की संभावना को बढ़ा देती है क्योंकि खतरे की अवस्था में अपने देखभाल करने वाले का साथ चाहता है।
- गोटाविस आर बीजर 1993, मैकमिलन, वेथ, जैमिसन, क्राफाड, बायली 2000 के अनुसार दूसरी संस्कृतियों के बहुसंख्यक बच्चों की तरह जनजाति बच्चों में वैसी मनोवैज्ञानिक समस्याएँ नहीं होती जो उनकी क्षमताओं और योग्यताओं को सीमित करती है।
- पुरस 2011 ने अपने अध्ययन में संस्थानिक अनाथ बच्चों से संबंधित अपने अध्ययन में कतिपय कुप्रभावों का उल्लेख किया है, जैसे की भाषा विकास में विष्ष्टि कठिनाई, ध्यान केन्द्रित करने में समस्याएं, सांवेशिक संबंधों के निर्माण मे कठिनाई अदि।
- ग्रूसेक एवं एंगरर 2003 के अनुसार समाजीकरण के पारंपरिक नियमों के अनुसार बच्चों के माता–पिता पर प्राथमिक रूप से यह जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को इसके लिए उत्साहित करें कि वे प्रचलित समाजिक मूल्यों को अपनाएं और बच्चों के समुचित समाजिक और सांवेगिक विकास के लिए संभव उपाय करे।
- बाउन 2009 डीजिसे और रिफरवोकुडा 2013 ने अपने अध्ययन में पाया कि संस्थानिक बच्चों पर दीर्घकालीन सामाजिक–मनोवैज्ञानिक और सांवेगिक विकास के लिए हानिकारक होता है। यहाँ इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि संस्थानों में देखभाल की सुविधा किस प्रकार है।

सामान्यतः समाज में सांस्कृतिक रूप से कुछ ऐसी समाजिक संस्थाए विकसित हो रही है जो जन्म से लेकर वयस्क होने तक एक साँचे के रूप में बच्चों के व्यक्तित्व को ढालने का कार्य करती है। मनोवैज्ञानिक रूप से समाज अपने सदस्यों से आषा करता है कि वह अपनी संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को अपने समूह की संकृति को परिधि में रहकर हीं पूरा करने की कोषिष करता है। समाजिक रूप से यह आषा की जाती है कि वह अपने समूह में अपनी सम्बन्ध व्यवस्था को अपनी संस्कृति की अपेक्षा के अनुरूप हीं ढाले तथा इसमे किसी प्रकार का विधि उत्पन्न न करें।

इस प्रकार संक्षेप में बाल अपराध अवष्य एक सामाजिक सांस्कृतिक तथा समाजिक मनोवैज्ञानिक समस्या है जो बालकों के विशेष समूह के उन व्यवहारों के अध्ययन से सम्बन्धित है, जिस पर देश का कानून लागु नहीं होता, जो ऐसे तत्वों की ओर संकेत करते है, जिससे वर्तमान एवम् भविष्य में एक संगठित और स्थिर सामाजिक व्यवस्था के स्थापित सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक एकता और सामाजिक संतुलन के भंग होने का खतरा प्रतिविम्बित होता है।लेकिन वर्तमान समय की तरह यह समस्या इतनी गम्भीर और विकट नहीं थी, वर्तमान समय में बालकों का अपराधी प्रवृति का पाया जाना एक साधारण सी बात हो गयी है। कानून का उल्लंघन चाहे बालकों द्वारा किया गया हो या वयस्कों द्वारा एक अपराध है। आज बालकों और वयस्क द्वारा कानून का उल्लंघन इसलिए अधिक होने लगा है क्योकि वर्तमान समय में समाज संक्रमण की सिथति से गुजर रहा है। जब समाज में तीव्रता और असंतुलित गति से परिवर्तन होता है तो समाज में असामंजस्य की स्थिति पेदा हो जाती है और यह असामंजस्य बालकों में आसानी से देखा जाता है इस तीव्र परिस्थिति से बालक का मस्तिक बुरी तरह प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा कानून का उल्लंघन करना तथा अपराध की ओर प्रवृत होना स्वाभाविक सी प्रकृति लग रही है।

अध्ययन का औचित्य (Singnifacance of the Research)

एक तरफ से तो सभी बच्चे सामान्य होते है लेकिन बाल्यावस्था बच्चों की एक महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई हैं क्योकि इसी अवस्था में बच्चे का शरीरिक मानसिक तथा सांवेगिक विकास होता है। यही बच्चा जब अपने घर की चहारदीवारी से निकल कर बाहर आता है तो उस परिवेष को वह धीरे धीरे ग्रहण करता है। सबसे पहले वह अपने पड़ोसी बालकों के साथ खेलना शुरू करता है, घर के बाहर दूसरे बच्चों से मिलने जुलने से उसका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है और वह व्यवहार के अनेक नये तौर तरीकों को सीखने लगता है। इससे उसके मनोवृति में कुछ परिवर्तन आता है। बाल्यावस्था के दौरान बच्चे के अन्दर सामाजिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इससे बच्चा सामाजिक जीवन के महत्व को समझने लगता है। उसके अन्दर माता पिता के आज्ञा का पालन करना तथा दूसरो के प्रति सहानुभूति के गुण विकसित होने लगते है, इससे बच्चों के अन्दर खेल, अनुकरण, नेतृत्व, मित्रता, सहानुभूति, स्पर्धा एवम् प्रभुत्व के भाव आ जाते है। इस उम्र में बच्चा खेल तथा मनोरंजन पर अधिक ध्यान देता है, अधिकतर यह देखा गया है कि खेल में बच्चों के शरीरिक, मानसिक, नैतिक एवम् सामाजिक गुणों का विकास होता है। बच्चा आयु में अधिक छोटा तथा अपरिपक्व होने के कारण वह किसी चीज को समझ नहीं पाता है। खेल एक ऐसा माध्यम है जिसमे बच्चों को आनन्द एवम् स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। खेलों के लिए वह अपने भाई, बहनों या पड़ोस के साथियों को चुनता है, इससे बच्चे के अन्दर अनुकरण की भावना प्रबल होती है। वह कोई चीज अनुकरण के माध्यम से सीखने की कोषिष करता है क्योकि बच्चे के लिए अनुकरण बहुत सरल होता है। उसके अन्दर सोचने समझने या मानसिक क्रियाओं को करने की क्षमता अधिक नहीं हो पाती, फिर भी बच्चा अनुकरण के द्वारा अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य के साथ व्यवहार और आचरण के नये तौर तरीकों को सीखता है। हर बच्चा अपने माता पिता से प्यार एवम् दुलार चाहता है, वह अपने बड़ों से प्यार दुलार लेने के लिए उनके सभी आज्ञाओं का पालन करता है। एक बच्चे को हम जिस प्रकार के संस्कार देगें बच्चे की प्रवृति भी उसी ढंग की होगी। हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छा बनाने की कोषिष करते है, क्योकिं घर परिवार का वातावरण, सदस्यों का व्यवहार तथा संस्कार का उसके उपर विषेष प्रभाव पड़ता है। अच्छा प्रभाव पड़ने से बच्चा अच्छी प्रवृति तथा योग्य गुणों वाला बनता है जो अपने आने वाले समय में भी एक अच्छा व्यक्ति सावित होता है। अपने जीवन के सभी क्षेत्रो में उसका प्रदर्शन अच्छा होता है। आने वाले समय में वह योग्य नागरिक सावित होता है। योग्य व्यक्ति ही हमारे देश के भावी कर्णधार होते है। उसके उपर उम्मीदों की नींव टिकी रहती है और वही व्यक्ति अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल माना जाता है। इसके विपरीत बाल्यावस्था में कुछ बच्चे ऐसे होते है जो अपने माता पिता तथा घर के अन्य सदस्य की आज्ञा का उल्लघंन करते है उस स्थिति में जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो बच्चा जिद करने लगता है और अपनी बातों को मनवाना चाहता है। वह कुछ निषेधात्मक व्यवहार को अपनाने लगता है जैसे बस्तुओ को फेकना, जमीन पर लेटना, चिल्लाना, बड़ो की बात को न मानना इत्यादि हरकतो को करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते है जो दूसरे बच्चों पर अपना अधिकार जमाना चाहते है। उसके द्वारा बताये हुए सुझाव या निर्देश को वह मानने को तैयार नहीं होता और उसका विरोध करने लगता है। एक बच्चे के अन्दर क्रोध, आक्रमक, द्वन्द एवम् अनुभूति की भावनायें प्रवल होती है। इस अवस्था का बच्चा अपने माता पिता, भाई बहन एवम् साथियों के बीच अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ये सहानुभूति शारीरिक एवम् मानसिक दोनो प्रकार की होती है इन्ही बच्चों के अन्दर कुछ विषेष दुर्गुणों का जन्म होता है जैसे झुठ बोलना, चोरी करना इस प्रकार के व्यवहार को हम समाज विरोधी व्यवहार कहेंगे, कुछ बच्चे ऐसा करके आन्नद या मनोरंजन करते है लेकिन षिक्षित माता पिता

या घर के अन्य सदस्य को बच्चों के इस व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार करने से बच्चे के अन्दर वैसे ही प्रवृति उत्पन्न होगी, इन व्यवहारों को करते हुए बच्चा समाज विरोधी बन जाता है और समाज में रह कर छोटे–छोटे अपराधें को अंजाम देने लगता है और यहीं बाल अपराधी का अंकुरण होता है। जब कोई पौढ़ व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो हम उसे अपराध मानकर दण्डित करते है किन्तु जब वही अपराध किसी बच्चे के द्वारा किया जाता है तो उसे बाल अपराध कहते है। बाल अपराधियों को किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जाता बल्कि उन्हें सुधारगृह में रखकर उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। वहाँ उन्हें षिक्षण एवं प्रषिक्षण के द्वारा सुधारा जाता है यदि हम बाल अपराध के रोकथाम की दिषा में कोई ठोस कदम न उठाये तो वही बच्चा अपने जीवन में अपराधी बनकर समाज में अव्यवस्था फैलाने का कार्य करता है। उन्हीं बाल अपराधियों के द्वारा समाज विरोधी जैसे झूठ बोलना, स्कूल से भाग जाना, स्कूल की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना, आवारागर्दी करना, जुआ खेलना इत्यादि व्यवहार को करता है जिसके कारण कोई बच्चा परिवार, पडोस तथा विद्यालय के लिए एक समस्या के रूप में देखने को मिलता है। कुछ अपराध अनुवांकि कारण, सामाजिक करण, आर्थिक एवम् मनोवैज्ञानिक कारण होते है। बच्चों के भीतर अपराध का विकास सामाजिक कारको से होते हैं जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति का अच्छा न होना, अशिक्षा, बेरोजगारी, अनुशासनहीनता तथा परिवार के अन्दर अनेक अनैतिक व्यवहारों का पाया जाना, परिवार की अव्यवस्था तथा संगठन हीनता के कारण बच्चें अपने को असहाय महसुस करते है जिससे बच्चे के अन्दर कुप्रवृत्तिया सरलता से घर कर लेती है और वो अपराधी बन जाते है।

इस हेतु कई षोध प्रष्न उत्पन्न हो रहे हैं जो इस प्रकार है :–

- क्या सामान्य बालकों के सामाजिक व्यवहार बाल अपराध करने वाले बालको से भिन्न है?
- क्या दोनों तरह के बालको के सांवेगिक व्यवहार में भिन्नता पायी जाती है?
- क्या सामान्य बच्चे एवं बाल अपराध करने वालो बच्चों के कुण्ठा स्तर में भिन्नता है?

शोध कार्य की प्रासंगिकता (Relevance of the research to the Society)

इस षोध कार्य की प्रासंगिकता इस प्रकार है –

- यह षोध समाजषास्त्रीयो एवं ऐच्छिक व अनैच्छिक संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगी।
- इस षोध के द्वारा विकासात्मक पक्ष को समझने में सहायता मिलेगी।
- इसके द्वारा संस्थागत व गैरसंस्थागत वातावरण की समझ विकसित होगी।

अध्ययन के उद्देष्य (Objective of the Research)

1. सामान्य बच्चे एवम् बाल अपराध करने वाले बच्चों के सामाजिक विकास का अध्ययन।
2. सामान्य बच्चे एवम् बाल अपराध करने वाले बच्चों के सांवेगिक विकास का अध्ययन।
3. सामान्य बच्चे एवम् बाल अपराध करने वाले बच्चों के कुण्ठा स्तर (frustration level) का अध्ययन।

प्राक्कल्पना (Hypothesis)

H1. सामान्य बच्चे एवम् बाल अपराध करने वाले बच्चों के सामाजिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पडता है।

H2. सामान्य बच्चे एवम् बाल अपराध करने वाले बच्चों के सामाजिक सांवेगिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पडता है।

- **H3.** सामान्य बच्चे एवम् बाल अपराध करने वाले बच्चों के कुण्ठा स्तर ;तिनेजतंजपवद समअमसद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पडता है।
- षोध अभिकल्प (Research Design) वर्णानात्मक षोध प्रारूप का अनुप्रयोग किया जाएगा।

षोध विधि (Research Methdology)

जनसंख्या एवं प्रतिदर्ष (Population and Sample)

झारखण्ड के वे सभी बच्चे जिनकी आयु – समुह (6 – 12 वर्ष) हैं तथा वे जो अभिभावक की देखरेख में रह रहे हैं एवं वे जो बाल कारागृह मे रह रहे है।

प्रतिदर्श का चुनाव (Sample Selection)

प्रतिदर्ष का चयन उद्देष्यपूर्ण यादृच्छिक प्रतिदर्ष द्वारा किया जाएगा जिनमे समान्य बालका व बालिका के लिए :–

- के0 बी0 स्कूल सुभाष मार्ग, हजारीबाग।
- बिहारी गर्ल्स स्कूल बाडम बाजार, हजारीबाग।
- गर्वमेन्ट गर्ल्स स्कूल मजार रोड, हजारीबाग।
- इस्लामिया स्कूल, झील रोड़, हजारीबाग।

बाल अपराधी के लिए गृह

- जे0 पी0 कारा, हजारीबाग।
- बाल सुधार चास, बोकारो।
- भूदा बाल सुधार गृह धनबाद से प्रतिदर्ष चयनित किया जाऐगा

कार्यकारी परिभाषा (Operational Definition)

सामान्य बालकः सामान्य बालक से तात्पर्य उन 6–12 वर्ष के बच्चों से है जो सामाजिक मानदण्ड के अनुसार व्यवहार करता ळै जिसका पालन पोषण स्वयं के अभिभावक द्वारा किया जाता है।

बाल अपराधः बाल अपराधी के तात्पर्य उन 6–12 वर्ष के बच्चों से है जो सामाजिक मानदण्ड के अनुसार नहीं होता है और वे किसी सामाजिक अथवा सरकारी और गैर सरकारी संस्था में रह रहें हो।

सामाजिक विकासः सामाजिक विकास से तात्पर्य उन सामाजिक मानक से है जिसके अन्तर्गत बालक सामाजिक रूप से स्वीकार्य कार्य करता है।

सांवेगिक विकासः सांवेगिक विकास उस व्यवहार से है जिसके अन्तर्गत बालक अपने व्यवहार को अभिव्यक्त करता है।

प्रतिदर्ष/न्यायदर्ष का विभाजन (Distribution of the Sample)

उद्देष्यपूर्ण दैव निदर्षन प्रणाली का अनुप्रयोग कर न्यायदर्ष का चुनाव किया जायेगा।

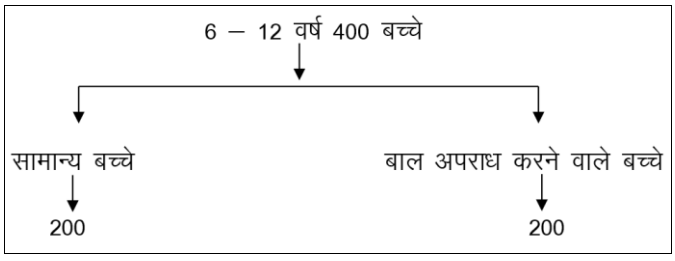

प्रयुक्त (Tools to be used) उपकरणः

प्रदत्त संकलन हेतु निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा।

1. सांवेगिक परिपक्वता मापनी – Emotional Maturity Scale by (Dr. Yashvir Singh & Mahesh Bhargava)
2. सामाजिक परिपक्वता मापनी – Social Maturity Scale (Dr. R.P. Srivastava)
3. नैराष्य माप – Nairashya Maap & Frustation test by (N.S. Chauhan & G.P Tiwari)

4. स्व–विकसित इनवेन्ट्री – Self Developed Inventory

प्रदत्त संकलन की प्रक्रिया (Research Procedure)

चयनित न्यायर्दा को प्रष्नावली दिये जाएँगे। यद्यपि किसी प्रकार के षंका होने पर उचित निर्देषन दिये जाएँगे तथा कथन प्रष्नों को स्पष्ठ किये जाएँगे। ततपष्चात उपकरणों को संकलित किया जाएगा।

प्रदत्त विष्लेषण की प्रविधि (Statistical Analysis)

प्रदत्त संकलन हेतु निम्न सांख्यिकी प्रविधि का अनुप्रयोग किया जाएगा

- Mean
- Standard deviation
- t – test

Degree of freedom

df = N - 2
df = degree of freedom
N = No. of Student
t-value = 0.05 level

तथ्यों का विष्लेषण एवं व्याख्या शोध समस्या के आधार पर

इससे पूर्व अध्याय में षोध कार्य के लिए चयनित प्रतिदर्ष, अध्ययन की प्रविधि, आवश्यक उपकरण और प्रदत्तों के संकलन की विधि की विस्तृत व्याख्या की गई है। प्रस्तुत अध्याय में संकलित प्रदत्तों की सांख्यिकीय विश्लेषण और प्राप्त परिणामों का विवेचना किया गया है। प्रदत्तों के विश्लेषण का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है।

व्यक्तिगत प्रपत्र

इसके अंतर्गत चयनित बच्चों का आयु–समूह, लिंग, षिक्षा, पिता का व्यवसाय, पिता की शिक्षा, माता की षिक्षा, पिता की आय, परिवार का प्रकार आदि के आधार पर विभाजन किया गया है। इसमें चयनित बच्चों की कुल संख्या 400 है। जिनमें सामान्य बच्चे 200 तथा बाल अपराधी बच्चे 200 वर्गीकृत का वर्गीकृत कर उनकी संख्या व मान प्रतिशतता के रूप में प्रदर्शित की गई है।

आयु समूह के आधार पर चयनित सामान्य बालक एवं बाल अपराधी बालकों का विवरण इस प्रकार है।

तालिका 1: आयु के आधार पर सामान्य एवं बाल अपराधी बच्चे

आयु समूह	सामान्य बच्चे	प्रतिशतता	बाल अपराधी बच्चे	प्रतिशतता
6–8 वर्ष	8	4		
8–10 वर्ष	12	6	20	10
10–12 वर्ष	180	90	180	90
कुल	200		200	

इस अध्ययन के अर्न्तगत चर की अवस्था को तीन उप आयु वर्गों में विभाजित किया गया है। उदाहरणस्वरूप 6–8 वर्ष, 8–10 वर्ष और 10–12 वर्ष क्रमशः 200 सामान्य बच्चों में से 8 बच्चे 6–8 वर्ष के, 6 प्रतिशत 8 –10 वर्ष के बच्चे 12 बच्चे 8–10 वर्ष के बच्चों में से तथा 180 बच्चे 10–12 वर्ष के बच्चों में से लिया गया जो क्रमशः 4 प्रतिशत 6–8 वर्ष के बच्चे तथा 90 प्रतिशत 10–12 वर्ष के बच्चे लिये गये। इसी प्रकार 200 बाल–अपराध करने वाले बच्चों में से आयु समूह के आधार पर 6–8 वर्ष के नगण्य बच्चे 8–10 वर्ष के 20 बच्चे एवं 10–12 वर्ष के 180 बच्चे को लिया गया है। जिनमें से क्रमशः 6–8 वर्ष की प्रतिशतता नगण्य है जबकि 8–10 वर्ष के 10 प्रतिशत तथा 10–12 वर्ष के 90 प्रतिशत बच्चों को लिया गया है। इस प्रकार सबसे अधिक 10–12 वर्ष के सामान्य बच्चे एवं बाल – अपराधी बच्चे हैं।

लिंग के आधार पर चयनित सामान्य बच्चे एवं बाल अपराधी बच्चों का विवरण इस प्रकार है। इसमें कुल 400 चयनित बच्चों को बालक एवं बालिका के रूप में विभाजन किया गया है–

तालिका 2: लिंग के आधार पर सामान्य एवं बाल अपराधी बच्चे

बालक / बालिका	सामान्य बच्चे	प्रतिशतता	बाल अपराधी बच्चे	प्रतिशतता
बालक	94	47	190	95
बालिका	106	53	10	05
कुल	100		100	

लिंग के आधार पर दो उपसमूहों में विभाजन किया गया है सामान्य बच्चे एवं बाल अपराधी बच्चे। समान्य बच्चों की कुल 200 की संख्या में से 94 बच्चे बालक एवं 106 बच्चे बालिका को लिया गया है। जिनकी प्रतिशतता के आधार पर 47 प्रतिशत बालक एवं 53 प्रतिशत बालिका को लिया गया है। इसी प्रकार 200 बाल अपराधी बच्चों को लिया गया है जिनमें से 190 बच्चे बालक एवं 10 बच्चे बालिका है। प्रतिशत के आधार पर 95 प्रतिशत बालक एवं 5 प्रतिशत बालिका है।

विद्यालय के वर्ग क्रमानुसार चयनित सामान्य बच्चे एवं बाल अपराधी बच्चों का विवरण इस प्रकार है –

तालिका 3: विद्यालय के वर्ग आधार पर सामान्य एवं बाल अपराधी बच्चे

वर्ग क्रम	सामान्य बच्चे	प्रतिशतता	बाल अपराधी बच्चे	प्रतिशतता
वर्ग 1				
वर्ग 2				
वर्ग 3	20	10	.	
वर्ग 4	90	45	100	50
वर्ग 5	90	45	100	50
कुल	200		200	

बच्चों के विद्यालय क्रमानुसार पांच उपसमूहों में विभाजन किया गया है। इसमें बच्चों को उनके वर्ग के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। सामान्य बच्चों को उनके वर्ग के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। सामान्य बच्चों की कुल 200 की संख्या में 1 से 5 वर्ग में अध्ययनरत बच्चों की क्रमानुसार संख्या में वर्ग 1 एवं वर्ग 2 तक की संख्या नगण्य है। जबकि वर्ग 3 में 20 बच्चे, वर्ग 4 में 90 एवं वर्ग 5 में 90 बच्चे हैं। प्रतिशतता के आधार पर सामान्य बच्चों में वर्ग 3 के 10 प्रतिशत वर्ग–4 के 45 प्रतिशत तथा वर्ग – 5 के 45 प्रतिशत बच्चे है। इसी प्रकार बाल अपराधी बच्चों में वर्ग–1, वर्ग–2 एवं वर्ग –3 में नगण्य है जबकि वर्ग–4 एवं वर्ग– 5 में क्रमशः 100 एवं 100 बच्चों को लिया गया है। प्रतिशत में वर्ग–4 के 50 प्रतिशत एवं वर्ग–5 के 50 प्रतिशत बच्चे हैं।

स्व–विकसित इन्वेन्ट्री (Self Development Inventory)

शोधकर्त्ता द्वारा स्व–विकसित परीक्षण का निर्माण किया गया यह कतिपय बिन्दुओं के आधार पर किया गया जो इस प्रकार है :–

तालिका 4: माता–पिता का आपसी संबंध के आधार पर

क्रम संख्या	माता–पिता का आपसी संबंध	सामान्य बच्चे	प्रतिशतता	बाल अपराधी बच्चे	प्रतिशतता
1	सौहार्दपूर्ण	80	15	20	10
2	सामान्य	100	75	60	30
3	तनावपूर्ण	20	10	120	60

तलिका 4 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि माता–पिता का आपसी संबंध के आधार पर विश्लेषण किया गया तथा पाया गया कि सामान्य बच्चे के माता–पिता का आपसी सबंध में 15 प्रतिशत का सौहार्दपूर्ण व्यवहार है और 10 प्रतिशत माता–पिता का आपसी व्यवहार तनावपूर्ण है। इसी प्रकार बाल–अपराधी बच्चों के

माता–पिता का आपसी संबंध का विश्लेषण किया गया तथा पाया गया कि 10 प्रतिशत माता–पिता का सौहार्दपूर्ण व्यवहार है जबकि 30 प्रतिशत का सामान्य व्यवहार है और 60 प्रतिशत माता–पिता का आपसी सम्बंध तनावपूर्ण है।

तालिका 5: माता–पिता का बच्चों के साथ संबंध के आधार पर

क्रम संख्या	माता–पिता का बच्चों के साथ संबंध	सामान्य बच्चे	प्रतिशतता	बाल अपराधी बच्चे	प्रतिशतता
1	स्नेहपूर्ण	80	40	20	10
2	सामान्य	100	50	50	40
3	उदासीन	20	10	30	15
4	उपेक्षा एवं तनावपूर्ण	.		70	35

तालिका 5 में माता–पिता का बच्चों के साथ सम्बन्ध का विश्लेषण किया गया तथा पाया गया कि सामान्य बच्चों के 40 प्रतिशत बच्चों का माता–पिता के साथ स्नेहपूर्ण सम्बंध है, 50 प्रतिशत बच्चों का माता–पिता के साथ सामान्य व्यवहार है जबकि 10 प्रतिशत माता–पिता का उदासीन व्यवहार है। इसीप्रकार बाल–अपराधी बच्चों के माता–पिता का बच्चों के साथ संबंध का विश्लेषण किया गया तथा पाया गया कि 10 प्रतिशत माता–पिता का स्नेहपूर्ण व्यवहार है। जबकि 40 प्रतिशत का सामान्य व्यवहार है अपने बच्चों के साथ। इसी प्रकार 15 प्रतिशत माता–पिता का उदासीन व्यवहार है जबकि 35 प्रतिशत माता–पिता का अपने बच्चों के प्रति उपेक्षा एवं तनावपूर्ण व्यवहार है।

तालिका 6: परिवार के अनुषासन के आधार पर

क्रम संख्या	परिवार में अनुशासन के प्रकार	सामान्य बच्चे	प्रतिशतता	बाल अपराधी बच्चे	प्रतिशतता
1	अधिकारवादी अनुशासिक व्यवहार	40	20	80	40
2	प्रजातांत्रिक अनुशासिक व्यवहार	110	55	30	15
3	उदारवादी अनुशासिक व्यवहार	40	20	50	25
4	पक्षपातपूर्ण व्यवहार	10	05	40	20

तालिका 6 का विश्लेषण किया गया तथा पाया गया कि परिवार में माता–पिता अथवा अभिभावक का अनुशासनिक प्रवृति के प्रकार बच्चों के अनुशासन पर प्रभाव पड़ता है। सामान्य बच्चों के 20 प्रतिशत अधिकारवादी, 55 प्रतिशत प्रजातांत्रिक, 20 प्रतिशत उदारवादी तथा 5 प्रतिशत पक्षपातपूर्ण व्यवहार परिवार में अभिभावकों का बच्चों के प्रति रहता है। जबकि बाल अपराधी अभिभावकों का बच्चों के प्रति व्यवहार में 40 प्रतिशत अधिकारवादी, 15 प्रतिशत प्रजातांत्रिक, 25 प्रतिशत उदारवादी एवं 20 प्रतिशत पक्षपातपूर्ण व्यवहार रहता है।

तालिका 7: परिवार में नषा करने के प्रवृति के आधार पर

क्रम संख्या	परिवार में नशा करने वाले सदस्य	सामान्य बच्चे	प्रतिशतता	बाल अपराधी बच्चे	प्रतिशतता
1	माता			10	5
2	थ्पता	20	10	120	60
3	बहन	.	.	.	.
4	भाई	20	10	40	20
5.	अन्य रिश्तेदार	40	20	20	10
6.	कोई नहीं	120	60	.	.

तालिका 7 में परिवार में नशा करने की प्रवृति का विश्लेषण कर पाया गया कि सामान्य बच्चों के माताओं में नशा की प्रवृति नहीं है जबकि 10 प्रतिशत पिता एवं 10 प्रतिशत भाईयों में नशा की प्रवृति है सामान्य बच्चों के बहनों में किसी प्रकार के नशा की प्रवृति नहीं है। परन्तु अन्य रिश्तेदारों में 20 प्रतिशत ऐसे हैं जिनमें नशा की प्रवृति है। जबकि 60 प्रतिशत ऐसे अभिभावक है जिनमें किसी प्रकार की नशा की प्रवृति नहीं है। जबकि 60 पगतिशत पिताओं में नशा करने की प्रवृति है। जबकि 10 प्रतिशत अन्य रिश्तेदारों में नशा करने की प्रवृति है। इसीप्रकार बाल–अपराधी बच्चों के अभिभावकों का विश्लेषण कर पाया गया कि 5 प्रतिशत माता में नशा करने की प्रवृति है 20 प्रतिशत भाईयों में नशा करने की प्रवृति है और केवल 5 प्रतिशत ऐसे हैं जिनमें किसी प्रकार की नशा की प्रवृति नहीं है।

सामाजिक परिपक्वता मापनी

सामान्य बच्चे एवं बाल अपराधी बच्चों पर सामाजिक परिपक्वता मापनी का प्रयोग किया गया है।

तालिका 8: सामान्य बच्चों के सामाजिक विकास में बच्चों की संख्या माध्य, मानक विचलन क्रमशः 200, 160.31 एवं 15.21 है।

समूह के प्रकार	संख्या	माध्य	मानक विचलन	टी–अनुपात	सार्थकता स्तर
सामान्य बच्चे	200	160.31	15.21		सार्थक है।
बाल अपराधी बच्चे	200	110.21	11.28	2.72	0.01

तालिका संख्या 8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सामान्य बच्चों के सामाजिक विकास में बच्चों की संख्या माध्य, मानक विचलन क्रमशः 200, 160.31 एवं 15.21 है।

जबकि बाल अपराधी बच्चों की संख्या, माध्य, मानक विचलन क्रमशः 200, 110.21 एवं 11.28 है।

दोनों के बीच टी–अनुपात 2.72 है जो कि 0.01 पर सार्थक है। इसका तात्पर्य है कि सामान्य बच्चे व बाल–अपराधी में सामाजिक विकास में अन्तर होता है। इसलिए शुन्य परिकल्पना को अस्वीकृत करता है। तथा मुख्य परिकल्पना को स्वीकृत करता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि सामान्य बच्चे व बाल–अपराधी में सामाजिक विकास में अन्तर होता है। इसलिए शुन्य परिकल्पना को अस्वीकृत करता है तथा मुख्य परिकल्पना को स्वीकृत करता हैं।

इस प्रकार कह सकते हैं कि सामान्य बच्चों का सामाजिक विकास अधिक अच्छा होता है। उन्हें घर के वातावरण में अभिभावकों के द्वारा एवं घर के अन्य सदस्यों के द्वारा औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से सामाजिक परिस्थितियों में ही मुख्य रूप से मानक प्राप्त वातावरण में ही उपयुक्त तरीकों से सामाजिक, स्वीकार्य कार्य सिखाते हैं। जबकि बाल अपराधी बच्चों में कोई मानक नहीं होता जो कि उन्हें अच्छे–बुरे अथवा सही–गलत का ज्ञान सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार सीख सके।

सांवेगिक परिपक्वता मापनी

तालिका 9: सामान्य एवं बाल–अपराधी बच्चें के सांवेगिक विकास का अध्ययन

समूह के प्रकार	संख्या	माध्य	मानक विचलन	टी–अनुपात	सार्थकता स्तर
सामान्य बच्चे	200	91.16	14.01	2.43	सार्थक है
बाल अपराधी बच्चे	200	104.52	16.25		0.01

तालिका संख्या 9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि बाल अपराधी बच्चों के सांवगिक विकास में बच्चों की संख्या, माध्य, मानक विचलन क्रमशः 200, 104.52, 16.25 है। जबकि सामान्य बच्चों की संख्या, माध्य, मानक विचलन क्रमशः 200, 91.16, 14.01 है। दोनों का टी–अनुपात 2.43 है जो कि 0.01 पर सार्थक अन्तर है।

फ्रस्ट्रेशन रियेक्शन

तालिका 10: सामान्य बच्चे एवं बाल अपराधी बच्चों के फ्रस्ट्रेशन रियेक्शन समूह 1 – सामान्य बच्चे समूह–2 बाल अपराधी बच्चे

समूह के प्रकार		संख्या	माध्य	मानक विचलन	टी–अनुपात	सार्थकता अन्तर
Aggression	I	200	30.54	6.209	3.095	सार्थक है
	II	200	25.04	6.205		0.01
Fixation	I	200	30.54		3.756	सार्थक है
	II	200	34.14	2.4		0.01
Regresion	I	200	34.18	5.192	0.549	सार्थक है
	II	200	36.18	5.198		0.01
Resignation	I	200	25.47	6.202	2.207	सार्थक है
	II	200	30ण्74	6ण्207		0.01

तालिका संख्या 10 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सामान्य बच्चे की संख्या का माध्य, मानक विचलन क्रमशः 200, 30.02, एवं 6.209 है जबकि बाल अपराधी बच्चों की संख्या का माध्य, मानक विचलन क्रमशः 200, 25.04, एवं 6.205 है।

इसीप्रकार फ्रस्टेशन रीयेक्शन में फिक्शेशन का विश्लेषण कर समान्य बच्चों की संख्या, माध्य, मानक विचलन क्रमशः 200, 30.54, एवं 2 है। जबकि बाल अपराधी बच्चों की संख्या, माध्य, मानक विचलन क्रमशः 200, 34.14, एवं 2.4 है। इसका टी–अनुपात 3.765 है जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर है। इस प्रकार अपराधी बच्चों में फ्रस्टेशन रीयेक्शन के अर्न्तगत फिक्शेशन की प्रवृति अधिक देखी जाती है।

फ्रस्टेशन रीयेक्शन के अन्तर्गत रीग्रेशन का विश्लेषण किया गया तथा पाया गया कि सामान्य बच्चों की संख्या, माध्य, मानक विचलन क्रमशः 200, 34.18, 5.198 है तथा बाल अपराधी बच्चों की संख्या का माध्य, मानक विचलन क्रमशः 200, 36.18, एवं 6.20 है। टी–अनुपात 0.559 है जो कि सार्थ अन्तर नहीं है। इसप्रकार दोनों प्रकार के बच्चों में सामान्य एवं बाल–अपराधी बच्चों में सामान्य एवं बाल अपराधी बच्चों में रीग्रेशन है।

रेजीगनेशन की प्रवृति का विश्लेषण किया गया तथा पााय गया कि समान्य बच्चों की संख्या का माध्य, मानक विचलन क्रमशः 200, 25. 47, एवं 6.202 है। जबकि बाल अपराधी बच्चों की संख्या का माध्य, मानक विचलन क्रमशः 200, 25.47, एवं 6.202 है। टी–अनुपात 2. 217 है जो कि 0.01 पर सार्थ अन्तर है। अर्थात अपराधी बच्चों में रेजीगनेशन की प्रवृति अधिक है।

अध्ययन का निष्कर्ष

शोध में प्रदत्तों के व्याख्या एवं विश्लेषण के आधार पर जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उसमें सामान्य बच्चों में सामाजिक विकास अधिक अच्छा होता है। इसका कारण है कि सामान्य बच्चों को घर का वातावरण प्रदान किया जाता है। उन्हें माता–पिता के संरक्षण में घर का वातावरण प्रदान किया जाता है। उन्हें अनुभवों की अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाता है। घन में ही सामाजिक मानक प्राप्त होते है। जिससे अनुकरण करने का अवसर प्राप्त होता है। अतः पहली परिकल्पना सामान्य बच्चे एवं बाल अपराध करने वाले बच्चों के सामाजिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसका तात्पर्य है कि सामान्य बच्चे एवं बाल–अपराध करनेवाले बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः बच्चों का सामाजिक विकास अधिक होता है अर्थात् सामान्य बच्चे एवं बाल अपराधी बच्चों में सामान्य बच्चों का सामाजिक विकास अधिक अच्छा होता है। बच्चों के विकास की दृष्टि से बाल्यकाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे का सामाजीकरण परिवार से ही आरंभ हो जाता है वे सामाजिक रूप से सोचने, समझने ओर उनमें महसूस करने की क्षमता का विकास होता है। वे उचित और अनुचित का भेद करने में सक्षम होते हैं।

वास्तव में बच्चों के माता–पिता और परिवार का साथ उनके सामाजिक परिपक्वता के लिए सबसे आवश्यक है। परिवार में ही बच्चे सुरक्षा की भावना के साथ–साथ संबंधों के महत्त्व और व्यवहार सीखते हैं। जिससे उनमें सामाजिक रूप से परिपक्वता आती है। खेल–कूद विद्यालय में सहपाठियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों में सामाजिकता का तीव्र गति से विकास होता है। इस दौरान बच्चों के व्यवहारों को उचित निर्देश देकर माता–पिता अथवा अभिभावकों द्वारा नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार विशेष रूप से 6–18 वर्ष के दौरान जब बच्चों का विद्यालय जाना प्रारंभ हो जाता है तो बच्चे का विद्यालय में परिचय प्रारंभ होता है और इस प्रकार सामाजिक रूप से विकास प्रगाढ़ होता है।

अतः शोध निष्कर्ष यह इंगित करता है कि सामान्य बच्चे जो सामान्य वातावरण में पलते हैं उनका सामाजिक विकास बेहतर होता है इसका कारण है कि समय–समय पर उनके अच्छे–बुरे व्यवहारों को समझाने वाला परिवार के अन्य सदस्य होते हैं। जबकि बाल कारागृह में कोई रक्त–संबंध नहीं होता है। अच्छे–बुरे व्यवहारों में मार्गदर्शन का अभाव रहता है। जिससे बाल कारागृह में पलने वाले बच्चों का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। उन्हें सामाजिक अवसरों पर अन्तःक्रिया करने का अवसर कम मिलता है जिसके कारण सामाजिक रूप से वे कम परिपक्व हो पाते हैं। बाल कारागृह में पलने वाले बच्चों के प्रति समाज का नजरिया बदल जाता है उन्हें समाज में सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जाता है। जिसके कारण सामाजिक परिस्थितियों में अन्तःक्रिया करने का अवसर प्राप्त कम होता है अतः सामाजिक विकास अच्छा नहीं हो पाता है तथा वे उचित और अनुचित का भेद करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं।

यद्यपि बच्चों को माता–पिता और परिवार का साथ साथी–समूह या विद्यालय का वातावरण आदि सामाजिक परिपक्वतों के लिए सबसे आवश्यक है। परिवार मे ही बच्चे सुरक्षा की भावना के साथ–साथ संबंधों के महत्व और व्यवहार सीखते हैं। जिससे उनमें सामाजिक रूप से परिपक्वता आती है। विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल–कूद सहपाठियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों में सामाजिकता का तीव्र गति से विकास होता है। इस दौरान बच्चों के व्यवहारों को उचित मार्गदर्शन एवं निर्देश देकर माता–पिता नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं। परिवार में बच्चे माता–पिता के स्नेहपूर्ण व्यपहार एवं अनुशासनिक कार्य के कारण किसी भी कार्य को करने या निर्णय लेने में पर्याप्त रूप से सक्षम होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्य के लिए वे अपने संरक्षण पर निर्भर होते हैं। इससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता और उत्तरदायित्व की भावना प्रभावित होती है और इस प्रकार स्वयं कार्य करने की भावना का विकास होता है। आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है।

बाल कारागृह में रहने वाले बच्चों के प्रति समाज का प्रत्यक्षीकरण परिवर्तित हो जाता है। उन्हें समाज में दण्डनीय प्राप्त प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है। जिससे उनमें कई अन्य प्रवृत्ति विकसित हो जाते हैं। जिससे उनमें कुण्ठा व अन्य कारक विकसित हो जाते हैं।

इसी प्रकार संवेगात्मक विकास का विश्लेषण किया गया तथा परिणामस्वरूप पाया गया कि संवेगों की अभिव्यक्ति का अवसर सामान्य बच्चों को मिल पाता है। जिससे वे सांवेगिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाते हैं घर में बच्चें अपने माता–पिता या अभिभावक के साथ रहते हैं संवेगों की अभिव्यक्ति यथाशीघ्र कर देते हैं क्योंकि घर के वातावरण में माता–पिता या अभिभावक के साथ रहते हैं। जिसके कारण बच्चे अनुभव करते हैं कि संवेगों की अभिव्यक्ति करने पर परिवार के सदस्य बात सुनेगा जिससे बच्चे संवेगों के नियंत्रित करना नहीं सीखते है और यथायीघ्र व्यक्त कर देते हैं।

दूसरी परिकल्पना सामान्य बच्चे एवम् बाल अपराध करने वाले बच्चों के सांवेगिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि सामान्य बच्चे एवम् बाल अपराधी बच्चों के सांवेगिक विकास में अन्तर होता है। इसलिए मुख्य परिकल्पना को अस्वीकृत करता है और कह सकते हैं कि सामान्य बालकों का सांवेगिक विकास बाल अपराधी बालकों की अपेक्षा कम होता है अर्थात् बाल–अपराधी बच्चे सांवेगिक रूप से अधिक परिपक्व होते हैं। उनका विकास अधिक अच्छा होता है। इसका कारण है कि सामान्य संवेगों की अभिव्यक्ति यथाशीघ्र कर देते है क्योंकि वे घर के वातावरण में स्वयं के माता–पिता या अभिभावक के साथ रहते हैं। अतः संवेगों की अभिव्यक्ति यथाशीघ्र करते हैं। सामान्य बच्चे यह अनुभव करते हैं कि संवेगों की अभिव्यक्ति करने पर परिवार के सदस्य बात सुनेगा जिससे बच्चे संवेगों को नियंत्रित करना नहीं सीखते हैं और यथाशीघ्र व्यक्त कर देते हैं। परन्तु बाल कारा गृह में संवेगों को व्यक्त करने पर कोई प्रतिक्रिया देने वाला नहीं होता है। किसी के संवेगों पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कोई किसी का रक्त सम्बन्ध नहीं होता है। अतः बाल अपराधी बच्चों का सांवेगिक विकास अधिक अच्छा होता है। अतः मुख्य परिकल्पना को अस्वीकृत करता है और कह सकते हैं कि बाल अपराधी बच्चे सांवेगिक रूप से अधिक परिपक्व होते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए वे स्वविवेक विकसित करते हैं। जिससे उनमें आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास पैदा होता है। चूँकि बच्चे माता–पिता या अभभावक से दूर रहते हैं ऐस वातावरण में बच्चों को उचित सुझाव और सहयोग करने वाला कोई नहीं होता इसलिए बच्चे किसी कार्य को स्वयं से और दक्षतापूर्वक करने का प्रयास करते हैं। जिससे उनमें आत्मनिर्भरता की भावना के साथ ही साथ उत्तरदायित्व व निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होने लगती है और जिससे बच्चों की दूसरों पर निर्भरता नहीं रहती।

अतः इससे बाल कारागृह के वातावरण में बच्चों में सांवेगिम परिपक्वता, तीव्रगति से होता है वे अपने संवेगों पर नियंत्रण शीघ्र कर पाते हैं क्योंकि बच्चों को बाल कारागृह में कोई रक्त सम्बंध नहीं होता तथा औपचारिक वातावरण में औपचारिक रूप से देखभाल की जाती है। भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं होता है आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला कोई नहीं होता है। जिससे भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। सांवेगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। इस प्रकार बाल अपराधी बच्चों में सांवेगिक परिपक्वता सामान्य बच्चों से जल्दी आती है।

चूंकि बाल अपराधी बच्चे अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं अतः उनके कुण्ठा का स्तर बढ़ जाता है। कुण्ठा मापनी के चार स्तर है अग्रेसन, फिक्सेशन, रीग्रेशन और रेशीगेनेशन।

बाल अपराधी एवम् सामान्य बच्चे के अग्रेसन रियेक्शन का विश्लेषण किया गया तथा पाया गया कि सामान्य बच्चे में अग्रेसन अधिक होता है जबकि बाल अपराधी बच्चों में अग्रेसन अर्थात् आक्रोश को अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति अधिक होती है बाल अपराधी बच्चों में कम पाया जाता है इसका कारण है कि बाल अपराधी बच्चों को आक्रोश अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता है अतः वे अपने गुस्सा पर नियंत्रण रखते हैं जबकि सामान्य बच्चे अपने माता–पिता के साथ रहते हैं जिनके कारण स्वतः आक्रोश को अभिव्यक्त कर पाते हैं इसी कारण सामान्य बच्चों में अग्रेसन अधिक आता है बाल अपराधी बच्चों की अपेक्षा। अतः तीसरी परिकल्पना की सामान्य बच्चे एवं बाल अपराधी करने वाले बच्चों के कुण्ठा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह परिकल्पना अस्वीकृत हुआ है। सामान्य बच्चों में अधिक अग्रेसन होता है बाल अपराधी बच्चों की अपेक्षा।

इसी प्रकार फ्रस्टेशन रियेक्शन के अंतर्गत फिक्शेसन का आकंलन किया गया तथा पाया गया कि बाल–अपराधी बच्चों में फिक्शेसन अधिक पाया जाता है। जबकि सामान्य बच्चों में कम देखा गया इसका कारण है कि बाल–अपराधी बच्चे अपने संवेगों को रोक लेतो है। रीग्रेशन और रेशीगनेशन का आकलन कर देखा गया कि बाल अपराधी में अधिक है जबकि सामान्य बच्चों में कम देखा गया है। संवेगों को अभिव्यक्त करने का अवसर सामान्य बच्चों को अधिक मिलता है जबकि बाल अपराधी बच्चों को कम दिया जाता है। सामान्य बच्चे को आक्रोश अथवा गुस्सा आता है तो शीघ्र व्यक्त कर देते हैं। परन्तु बाल अपराधी को शीघ्र व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल पाता है जिसके कारण संवेगों को नियंत्रित कर लेते हैं और इस प्रकार यह संवेग एकत्रित होता चला जाता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है और लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया चलने के कारण संवेगों में फिक्शेशन, रीग्रेशन और रेशीगनेशन लगातार एकत्रित होता रहता है जो कि बाल अपराधी में अधिक देखा जाता है और सामान्य बच्चों में कम देखा गया है।

यद्यपि संवेगों का प्रदर्शित होना स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है परन्तु जब संवेग प्रदर्शित नहीं हो पाते हैं तो वही संवेग कुण्ठा का रूप धारण कर लेता है। व्यक्ति धीरे–धीरे कुण्ठित महसूस करने लगता है।

स्वविकसित इन्वेन्ट्री के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गये हैं उनमें देखा गया है सौहार्दपूर्ण एवं सामान्य सम्बंध के कारण बच्चे का विकास सकारात्मक होता है जबकि तनावपूर्ण वातावरण के कारण बच्चों में अपराधी प्रवृत्ति ज्यादा देखा जाता है। माता–पिता का बच्चों के साथ उदासीन उपेक्षा एवं तनावपूर्ण रूप व्यवहार के कारण भी अपराधी प्रवृत्ति की ओर बच्चे प्रवृत्त होते हैं। इसके साथ ही पारिवारिक अनुशासन का भी प्रभाव देखा गया है यदि माता–पिता अधिकारवादी, उदारवादी अथवा शिथिल व्यवहार के कारण अपराधी प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं अतः प्रजातांत्रिक वातावरण का अनुपालन किया जाना चाहिए। परिवार में नशा की जा रही है तो बच्चे भी नशा करना सीखते हैं। इस प्रकार परिवार का वातावरण, माता–पिता का व्यवहार अनुशासनिक पालन–पोषण का प्रभाव व्यक्तित्व विकास में सहायक है।

व्यक्तिगत प्रपत्र के विश्लेषण कर आकंलन किया गया तथा पाया गया कि 10–12 वर्ष के बच्चों में अपराधी प्रवृत्ति देखा गया है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति है। बच्चों के पिता का शिक्षा भी अपराधी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है। कम पढ़े–लिखे अथवा अशिक्षित पिता–माता के बच्चों में अपराधी प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है।

सुझावः शोध की उपलब्धि के आधार पर सुझाव इस प्रकार हैं–

- सामान्य बच्चों का सामाजिक विकास अधिक अच्छा होता है। इस प्रकार सामाजिक विकास की दृष्टि से परिपक्व होते हैं। बाल कारागृह में पलने वाले सामाजिक दृष्टि से बच्चों में अपरिपक्वता होती है। अतः आवश्यक है कि बाल कारागृह में बच्चों को इस प्रकार का वातावरण दिया जाना चाहिए जिससे वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकें तथा स्वस्थ सामाजिक विकास हो सके।
- बाल कारागृह में बच्चों को परिवार का वातावरण विकसित करने से अपनत्व की भावना का विकास होगा।
- बाल कारागृह में एक प्रकार का औपचारिक वातावरण रहता है अतः आवश्यक है कि इसे अनौपचारिक बनाया जाय। विकास की दृष्टि से अनौपचारिक वातावरण अति आवश्यक है।
- बाल कारागृह में पलने वाले बच्चों को समाज में अधिक से

अधिक अन्तःक्रिया कराया जाय जिससे सामाजिक माणकों को समझ सके और व्यवहार कर सकें।

- सामान्य बालकों में सांवेगिक परिपक्वता बहुत कम देखी जाती है और माता–पिता को चाहिए कि इस प्रकार का वातावरण बच्चों को प्रदान करें जिससे सांवेगिक रूप से परिपक्व हो सकें।
- सामान्य बालकों एवं बाल कारागृह के बालकों की देख–रेख करने वाले को चाहिए कि वातावरण खुला, साफ, हल्का व स्वच्छंद बनाये जिससे बच्चे खुले दिल से अभिव्यक्ति दे सकें।

परिवार में माता–पिता/अभिभावकों के लिए सुझाव

- बच्चों के विकास की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक पहलुओं की महत्ता को समझना आवश्यक है।
- बच्चों के साथ पालन–पोषण में प्रजातांत्रिक अनुशासनिक प्रविधि का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे बच्चों की बात माता–पिता सुन सकें तथा उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जा सके। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर जरूरत हो तो दण्ड भी प्रदान किया जा सके।
- बच्चों को अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए जिससे उनमें सम्प्रेषण क्षमता का विकास हो सके।
- बच्चों का आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे स्वयं कार्य कर सके और आत्मनिर्भरता बन सके।
- बच्चों को घरेलू–कार्य, विद्यालय के कार्य के अतिरिक्त खेलकूद एवं मनोरंजन का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए।
- बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण, अभिभावकों का चरित्र इस प्रकार का होना चाहिए जिससे बच्चे अनुकरण कर सकें।
- विकासात्मक दृष्टि से 6–12 वर्ष का विशेष महत्त्व है क्योंकि इस अवस्था में सामाजिक विकास के साथ–साथ सांवेगिक परिपक्वता आती है अतः बच्चों को सामाजिक या सामूहिक गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- बच्चों की आवश्यकताओं और इच्छाओं के प्रति माता–पिता को ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चे संतुष्ट होते हैं और उनके प्रति विश्वास बढ़ता है।
- बच्चों के माता–पिता का यह दायित्व होता है कि विभिन्न परिचितों, व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं और तौर–तरीकों से परिचित कराया जाय जिससे बच्चे बर्हिमुखी एवं जिज्ञासु बन सकें।

बाल कारागृह के लिए सुझाव

- बच्चे एकाकी अनुभव ना करें इसलिए बच्चों के देखभाल करने वालों का दायित्व है कि दूसरे बच्चों से अधिक से अधिक अन्तःक्रिया का अवसर प्रदान किया जा सके।
- बाल कारागृह के प्रबंधन का दायित्व है कि बच्चों और देखभाल करने वालों की आनुपातिक संख्या अत्यधिक नहीं हो जिससे बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जा सके।
- बाल कारागृह के बच्चों के देखभाल करने वालों से भावनात्मक लगाव की अपेक्षा रखते है अतः देखभाल करने वालों का दायित्व है कि बच्चों के भावनाओं का ध्यान रखें।
- बाल कारागृह के बच्चों का सामाजिक विकास कम होता है अतः सामूहिक गतिविधियों का आयोजन कर सामाजिक अन्तःक्रिया करवाया जा सकता है।
- सांवेगिक भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर बाल कारागृह के बच्चों को दिया जाना चाहिए।
- भावनाओं को अभिव्यक्त करने से कुण्ठा का स्तर कम होता है जो कि व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक एवं उपयुक्त है।
- अनुशासनिक वातावरण होना चाहिए विशेषकर प्रजातांत्रिक वातावरण का अनुपालन किया जाना चाहिए।
- बाल कारागृह के बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए।
- भेद–भाव के वातावरण से विमुक्त वातावरण का निर्माण होना चाहिए।
- बाल कारागृह के बच्चों के विद्यालय, पर्यटन, पार्क आदि जगह भ्रमण करवाना चाहिए जिससे सामाजिक व्यवहार के साथ–साथ सामान्य ज्ञान में वृद्धि हो।
- बच्चों को सांस्कृतिक गतिविधियों और कला सम्बंधी कौशल से विगत करवाना चाहिए जिससे संस्कृति का ज्ञान व सामाजीकरण का विकास हो सके।
- बच्चों में कौशल–विकास करने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।
- बच्चों को नैतिक शिक्षा, उचित–अनुचित का बोध कराया जाना चाहिए जिससे सामाजिकरण एवं नैतिक विकास विकसित हो सके।

  व्यक्ति के आम नागरिकों के मूल अधिकारों का ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे कर्त्तव्यनिष्ठ हो सके।

संदर्भ सूची

1. अहुजा, राम एवं अहुजा मुकेश (2006) : 'विवेचनात्मक अपराध शास्त्र' रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
2. कुमारी, मंजु (2000) : भारत में बाल अपराध, प्रिटवेल पब्लिशर्स, जयपुर ।
3. गुप्ता एंव शर्मा (2005) : 'भारतीय समाजिक समस्याएँ' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
4. गोटाविस, बीजर एवं सहयोगी (1993), केली, इ0 मैकसेन एवं पॉल, डी0 हार्स्टींग्स : ''कल्चरली सेंसिटीव एप्रोचेज टू रिसर्च आन चाइल्ड डेवेलपमेंट एन्ड फैमिली प्रेक्टिसेस इन फर्स्ट पिपुल'', फर्स्ट पिपुल्स चाईल्ड एवं फैमिली रिव्यु, ए जनरल आन इन्नोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एबोरिजीनल चाईल्ड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रशन रिसर्च, पालिसी एंड प्रैक्टिस, वाल्यूम–1, संख्या– 1, सितम्बर 2004, पृ0 34।
5. ग्रूसेक एवं एगरर (2003) केली, ई मैकसेन एवं पॉल, डी0 हार्स्टींग्स ''कल्चरली सेंसिटीव एप्रोचेज टू रिसर्च आन चाहल्ड डेवेलपमेन्ट एन्ड फैमिली प्रैक्टिसेस इन फर्स्ट पिपुल'', फर्स्ट पिपुल्स चाईल्ड एवं फैमिली रिव्यु, ए जनरल आन इन्नोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एबोरिजीनल चाईल्ड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रशन रिसर्च, पालिसी एंड प्रैक्टिस, वाल्यूम–1, सितम्बर 2004, पृ0 33।
6. जैन, कल्पना (1988) : रिव्यु ऑफ लिटेरेचर, सौजन्य शोध गंगा, बी हाइब डिजीटल कान्सेप्ट, कोचीन द्वारा संकलित, महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, कोट्टयम पृष्ठ 103
7. नॉक (1982), : 'इन ह्यूमन डेवलमेन्ट' कालगर जर्ज एण्ड कलू थर्ड एडीशन, मैकमिलन पब्लिशिंग कम्पनी, न्यूयार्क।
8. पाण्डेय, गया (2007), भारतीय जनजातिय संस्कृति, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली–110059।
9. पुरस (2011), कांगइथी, एस0एम0 एंड मुकायाना, एगीगेलः ए जनरल आन आर्फन एंड वल्नेरेबल चिल्ड्रेन केयर इंस्टीटयूशंस, एक्सप्लोरिंग देयर पासिबल डैमेज टू चिल्ड्रेन इन ए फिव कंट्रिज आफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, शोसल साइंस 2014, वाल्यूम– 32, नं0–2, पृ0 118।
10. ब्राउन (2009) एवं सहयोगी, कांगइथी, एस0एम0 एंड मुकायना, एबीगेलः ए जनरल आन आर्फन एंड वल्नेरेबल चिल्ड्रेन केयर इंस्टीटयूशंस, एक्सप्लोरिंग देयर पासिबल डैमेज टू चिल्ड्रेन इन ए फिव कंट्रिज आफ द डेवेलपिंग वर्ल्ड, शोसल साइंस, 2014, वाल्यूम– 32, नं0–2, पृ0 117।
11. बाल्वी (1982) : इंस्टीट्यूषनल केयर फॉर यंग चिल्ड्रेन, रिव्यु ऑफ लिटरेचर एण्ड पॉलिसी इम्पलिकेशंस, सोषल इष्युस एण्ड

पॉलिसी रिव्यु, वाल्यूम – 06, सं0 1, ISSN–1751–2395, मार्च 2012 पृ0 4 ।
12. मौर्य, अनिल कुमार (2007), संथाल जनजाति आहार एंव स्वास्थ्य की समस्या, के0 के0 पब्लिकेषन 618, कटरा, इलाहाबाद।
13. रिपोर्ट ऑनष्जुवेनाइल डेलिक्वेन्सी, पब्लिषस्उ बाय द रजिस्टार जेनरल ऑफ इण्डिया।
14. षर्मा, विरेन्द्र (2006) : समकालिन भारत में सामाजिक समस्याएँ, पंचषील प्रकाषन, जयपुर।
15. र्षमा,जी0 के0 (1991) : रिव्यु ऑफ लिटेरेचर, सौजन्य शोध गंगा, बी हाइव डिजीटल कान्सेप्ट, कोचीन द्वारा विश्वविद्यालय, कोट्टयम पृ0 100
16. सिंह, यषवीर एवं भार्गव, महेष (1990), मैन्यूल फॉर इमोषनल मैच्यूरिटी स्केल, नेषनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन, आगरा, भारत।
17. श्रीवास्तव आर0 पी0 (1983) मैन्यूल फॉर सोशाल मैच्यूरीटि स्केल नेषनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन, आगरा, भारत।